

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2016/वैशाख 19, 1938

No. 191]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2016/ VAISAKHA 19, 1938

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 13 अप्रैल, 2016

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ, और ऋण शोधन क्षमता सीमा) विनियम, 2016

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/9/121/2016.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64वीं और 64वींए के साथ पठित धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (वाई), (जेड), (जेडए) और (जेडएबी) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ, और ऋण शोधन क्षमता सीमा) विनियम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे।
- (2) ये विनियम 1 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त होंगे तथा जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले सभी बीमाकर्ताओं पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ:-

- (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उन अधिनियमों के अधीन बनाये गये किसी भी नियम अथवा विनियम में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3. आस्तियों का मूल्यांकन: प्रत्येक बीमाकर्ता जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में अनुसूची I के अनुसार आस्तियों के मूल्य का एक विवरण तैयार करेगा।

4. देयताओं की राशि का निर्धारण: प्रत्येक बीमाकर्ता जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में अनुसूची II के अनुसार देयताओं की राशि का एक विवरण तैयार करेगा।

5. ऋण शोधन क्षमता सीमा का निर्धारण: प्रत्येक बीमाकर्ता जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में अनुसूची III के अनुसार ऋण शोधन क्षमता सीमा का एक विवरण तैयार करेगा।

6. स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय: जहाँ बीमाकर्ता स्वास्थ्य बीमा-रक्षा उपलब्ध कराते हुए स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करता है, वहाँ देयताओं की राशि का निर्धारण इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

7. भारत के बाहर व्यवसाय: जहाँ बीमाकर्ता भारत के बाहर किसी देश में जीवन बीमा व्यवसाय करता है, तथा मेजबान देश के विनियमनकर्ता को विवरण अथवा विवरणियाँ अथवा इस प्रकार का कोई ब्योरा प्रस्तुत करता है, इन्हें भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 के अनुसार विनिर्दिष्ट फार्मों के साथ संलग्न करेगा।

बशर्ते कि यदि नियुक्त बीमांकक की राय है कि भारत के बाहर जहाँ बीमाकर्ता व्यवसाय करता है, देयता और शोधन क्षमता मानदंड भारत में विद्यमान देयता और शोधन क्षमता मानदंडों की तुलना में निम्नतर देयता और/या शोधन क्षमता आवश्यकता में परिणत होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बीमाकर्ता से यह अपेक्षा करेगा कि वह भारत के बाहर किसी देश के मेजबान विनियमनकर्ता को प्रस्तुत विवरणों अथवा विवरणियों अथवा किसी ऐसे ब्योरे में दर्शाई गई आरक्षित निधियों से अधिक अतिरिक्त आरक्षित निधियों को अलग रखे ताकि भारत में विद्यमान देयता और ऋण शोधन क्षमता सीमा मानदंडों का पालन किया जा सके।

8. फार्म प्रस्तुत करना: इन विनियमों तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 के अनुसार विनिर्दिष्ट फार्म बीमाकर्ता द्वारा भारत के अंदर किये गये जीवन बीमा व्यवसाय और कुल व्यवसाय के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किये जाएँगे।

9. नियुक्त बीमांकक की प्राधिकरण में निजी मुलाकात: प्राधिकरण, यदि आवश्यक और उचित समझा जाए, तो नियुक्त बीमांकक से कह सकता है कि वह प्राधिकरण के कार्यालय में निजी तौर पर आकर मुलाकात करे, जिससे ऐसे व्यक्ति से और जानकारी प्राप्त की जा सके।

10. निरसन और बचत

(1) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख को और उस तारीख से, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और ऋण शोधन क्षमता सीमा) विनियम, 2000 अधिक्रमित होंगे।

(2) तथापि, इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले की गई अथवा किये जाने के लिए छोड़ी गई किसी बात के संबंध में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और ऋण शोधन क्षमता सीमा) विनियम, 2000 द्वारा उनका नियंत्रित होना जारी रहेगा।

11. स्पष्टीकरण आदि जारी करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

अनुसूची I

आस्तियों का मूल्यांकन

(विनियम 3 देखें)

1. निम्नलिखित आस्तियाँ शून्य मूल्य के साथ रखी जाएँगी,
 - (1) भारत में एजेंटों और मध्यवर्तियों की शेष राशियाँ और बकाया प्रीमियम, जहाँ तक उनकी वसूली 30 दिन की अवधि के अंदर नहीं की गई हो;
 - (2) भारत के बाहर एजेंटों और मध्यवर्तियों की शेष राशियाँ और बकाया प्रीमियम, जहाँ तक वे वसूलीयोग्य नहीं हैं;
 - (3) विविध ऋण, जहाँ तक वे वसूली योग्य नहीं हैं;
 - (4) अग्रिम और प्राप्य राशियाँ जो अप्राप्य स्वरूप की हैं;
 - (5) फर्नीचर, जुड़नार, जड़ वस्तु स्टॉक और लेखन-सामग्री;
 - (6) आस्थगित व्यय;
 - (7) लाभ-हानि विनियोग खाता शेष का नामे शेष तथा पूर्वदत्त व्ययों को छोड़कर अन्य कोई काल्पनिक आस्तियाँ;
 - (8) नब्बे दिन से अधिक बकाया पुनर्बीमाकर्ता की शेष राशियाँ;
 - (9) पट्टाधृत सुधार;
 - (10) नब्बे दिन से अधिक अवधि के लिए बकाया सेवा कर संबंधी अप्रयुक्त जमा;
 - (11) कोई अन्य आस्तियाँ, जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीं के अधीन अस्वीकार्य मानी गई हैं।
2. बीमाकर्ता की सभी अन्य आस्तियों का मूल्यांकन बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तैयारी, अन्य प्रकार की पूँजी और निवेश के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये समय-समय पर यथाप्रयोज्य विनियमों और अन्य अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।
3. **आस्तियों का विवरण:** प्रत्येक बीमाकर्ता भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 के फार्म आस्तियाँ एए में आस्तियों का विवरण तैयार करेगा।

अनुसूची II

देयताओं का मूल्यांकन – जीवन बीमा

(विनियम 4 देखें)

1. व्याख्या: इस अनुसूची में,

- (1) बीमांकिक अन्वेषण के संबंध में "मूल्यांकन दिनांक" से वह दिनांक अभिप्रेत है जिससे उक्त अन्वेषण संबंधित है।
- (2) "पॉलिसी खाते" से वे निधियाँ अभिप्रेत हैं जो परिवर्ती संबद्ध व्यवसाय और परिवर्ती असंबद्ध व्यवसाय के लिए निश्चित हैं।

2. गणितीय आरक्षित निधियों के निर्धारण की पद्धति:

- (1) गणितीय आरक्षित निधियों का निर्धारण प्रत्येक संविदा के लिए उप-पैरा (2) से (4) तक के अनुसार मूल्यांकन की प्रत्याशित पद्धति द्वारा किया जाएगा।
- (2) मूल्यांकन पद्धति में सभी भावी आकस्मिक व्ययों को ध्यान में रखा जाएगा जिनके अंतर्गत पॉलिसी की शर्तों के द्वारा निर्धारित रूप में कोई भी प्रीमियम (पॉलिसीधारक द्वारा) और लाभ (पॉलिसीधारक/लाभार्थी को) पॉलिसी के अंतर्गत देय होंगे। लाभों के स्तर के अंतर्गत पॉलिसीधारकों की उचित प्रत्याशाओं (अंतिम बोनसों, यदि कोई हों, सहित बोनसों के संबंध में) और लाभों के भुगतान के लिए बीमाकर्ता की स्थापित प्रथाओं को ध्यान में रखा जाएगा।
- (3) मूल्यांकन पद्धति में संविदा की शर्तों के अंतर्गत पॉलिसीधारक के लिए उपलब्ध होने वाले विकल्पों और गारंटियों की लागत को हिसाब में लिया जाएगा।
- (4) प्रत्येक पॉलिसी के अंतर्गत देयता की राशि का निर्धारण सभी संबंधित मानदंडों की विवेकपूर्ण धारणाओं पर आधारित होगा। प्रत्येक मानदंड का मूल्य बीमाकर्ता के प्रत्याशित अनुभव पर आधारित होगा तथा इसमें प्रतिकूल विचलनों के लिए उचित मार्जिन (इसमें इसके बाद एमएंडी के रूप में उल्लिखित) शामिल किया जाएगा जो गणितीय आरक्षित निधियों की राशि में वृद्धि के रूप में परिणत हो सकेगा।
- (5) (क) पॉलिसी के संबंध में उप-पैरा (4) के अनुसार निर्धारित गणितीय आरक्षित निधि की राशि मूल्यांकन दिनांक को ऋणात्मक ("ऋणात्मक आरक्षित निधियाँ" के रूप में अभिहित) अथवा उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य से कम ("अभ्यर्पण मूल्य न्यूनता आरक्षित निधियाँ" के रूप में अभिहित) हो सकती है।

स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन के लिए अभ्यर्पण मूल्य वह होगा जो विशेष अभ्यर्पण मूल्य और गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य में जो भी उच्चतर होगा।

(ख) नियुक्त बीमांकक, अधिनियम की धारा 35 के प्रयोजन के लिए किसी आशोधन के बिना ऐसी गणितीय आरक्षित निधियों की राशि का उपयोग करेगा।

(ग) नियुक्त बीमांकक अधिनियम की धारा 13, 49, 64वीं और 64वीं के प्रयोजन के लिए इस प्रकार की गणितीय आरक्षित निधि को ऐसी ऋणात्मक आरक्षित निधि के मामले में शून्य तक, अथवा ऐसी अभ्यर्पण मूल्य न्यूनता आरक्षित निधियों के मामले में अभ्यर्पण मूल्य तक, जैसी स्थिति हो, निश्चित करेगा।

(6) निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर मूल्यांकन पद्धति "सकल प्रीमियम मूल्यांकन" होगी:

(क) सामूहिक व्यवसाय के साथ संबद्ध अनुवृद्धियों (राइडर्स) सहित, एक वर्षीय नवीकरण-योग्य सामूहिक सावधि बीमा जिसमें आरक्षित निधियों के अंतर्गत अनर्जित प्रीमियम, प्रीमियम कमी और 'उपगत परंतु सूचित नहीं किये गये' दावों की अनुमति दी जाएगी।

(ख) वैयक्तिक उत्पादों के साथ संबद्ध अनुवृद्धियाँ (राइडर्स) जिनमें आरक्षित निधि वह होगी जो 'सकल प्रीमियम मूल्यांकन आरक्षित निधि' और 'अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि' में जो भी उच्चतर होगी।

(7) वैयक्तिक व्यवसाय के लिए, नियुक्त बीमांकक उपगत परंतु सूचित नहीं किये गये दावों के संबंध में अतिरिक्त आरक्षित निधि को रोक सकता है।

(8) यदि नियुक्त बीमांकक की राय में मूल्यांकन की सकल प्रीमियम पद्धति को छोड़कर मूल्यांकन की किसी अन्य पद्धति को अपनाना होगा, तब अन्य सन्निकटन (अप्रॉक्सिमेशन) पद्धतियों (उदा. पूर्वव्यापी पद्धति) का उपयोग किया जा सकता है।

बशर्ते कि परिकलित आरक्षित निधि की राशि के संबंध में यह प्रत्याशित है कि वह कम से कम उस राशि के समान होगी जो सकल प्रीमियम पद्धति लागू करते हुए उत्पन्न की जाएगी।

(9) मूल्यांकन मानदंडों के लिए देयताओं और पूर्वानुमानों की राशि के परिकलन की पद्धति एक वर्ष से अगले वर्ष तक अनुमानित समापन के अधीन नहीं होगी।

3. पॉलिसी नकदी प्रवाह: मूल्यांकन की सकल प्रीमियम पद्धति निम्नलिखित भावी पॉलिसी नकदी प्रवाहों को उपयुक्त ब्याज-दर पर घटायेगी,

(1) देय प्रीमियम, यदि कोई हों, मृत्यु पर देय लाभ, यदि कोई हों, उत्तरजीविता पर देय लाभ, यदि कोई हों, संविदा की स्वैच्छिक समाप्ति पर देय लाभ, यदि कोई हों, तथा निम्नलिखित, यदि कोई हों :-

(क) मूलभूत लाभ,

(ख) अनुवृद्धि लाभ,

(ग) मूल्यांकन दिनांक पर निहित हो चुके बोनस,

(घ) मूल्यांकन दिनांक पर मूल्यांकन के परिणामस्वरूप बोनस, तथा

(ङ) अंतिम बोनसों (मूल्यांकन की ब्याज-दर के साथ सुसंगत रूप में) सहित भावी बोनस (मूल्यांकन दिनांक से एक वर्ष के बाद);

(2) पॉलिसी के संबंध में कमीशन और पारिश्रमिक, यदि कोई देय हो (यह बीमाकर्ता की वर्तमान प्रथा पर आधारित होगा)। अनाथ पॉलिसियों के संबंध में कमीशन का भुगतान न करने के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(3) पॉलिसी के संबंध में पॉलिसी अनुरक्षण व्यय, यदि कोई हों, जैसी कि पैरा 5 के उप-पैरा (4) में व्यवस्था की गई है;

(4) शेयरधारकों को लाभ का आवंटन, यदि कोई हो, जहाँ शेयरधारकों को देने योग्य लाभों और पॉलिसीधारकों के लिए घोषित बोनस दरों के बीच कोई विनिर्दिष्ट संबंध हो।

बशर्ते कि कर, यदि कोई हो, के लिए व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए।

4. पॉलिसी विकल्प और गारंटियाँ : जहाँ पॉलिसी में अंतर्निहित विकल्पों की व्यवस्था हो जिनका प्रयोग पॉलिसीधारक द्वारा किया जा सकता है, जैसे अच्छे स्वास्थ्य के किसी सबूत के बिना भावी दिनांक (दिनांकों) पर बीमा-रक्षा का परिवर्तन या परिवर्धन, अथवा गारंटियाँ, जैसे संविदा की परिपक्वता पर वार्षिकी दर गारंटियाँ, निवेश गारंटियाँ आदि, वहाँ ऐसे विकल्पों अथवा गारंटियों की लागतों का अनुमान किया जाएगा और उन्हें गणितीय आरक्षित निधियों का परिकलन करने में विशेष नकदी प्रवाहों के रूप में माना जाएगा।

5. मूल्यांकन मानदंडः

(1) मूल्यांकन मानदंडों के अंतर्गत वे आधार होंगे जिन पर भावी पॉलिसी नकदी प्रवाहों की संगणना की जाएगी और उन्हें घटाया जाएगा। प्रत्येक मानदंड को व्यवसाय के उस खंड के लिए उपयुक्त होना चाहिए जिसका मूल्यांकन किया जाएगा। नियुक्त बीमांकक निम्नलिखित पर विचार करेगा,

(क) मानदंड का/के मूल्य बीमाकर्ता के अनुभव पर आधारित होगा/होंगे जहाँ उपलब्ध हों। यदि विश्वसनीय अनुभव का अध्ययन उपलब्ध नहीं है, तो उक्त मूल्य उद्योग के अध्ययन पर आधारित हो सकता है/ हो सकते हैं, यदि उपलब्ध और उपयुक्त हो/हों। यदि इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो उक्त मूल्य उत्पाद के कीमत-निर्धारण के लिए प्रयुक्त आधारों पर निर्भर हो सकते हैं। किसी भी मानदंड के प्रत्याशित स्तर को स्थापित करने में अनुभव में किसी संभावित ह्रास को ध्यान में रखा जाएगा।

(ख) इस उप-पैरा के खंड (क) में निर्धारित रूप में प्रत्याशित स्तर का समायोजन प्रतिकूल विचलनों के लिए उपयुक्त मार्जिन (एमएडी) द्वारा किया जाएगा जहाँ एमएडी का स्तर प्रत्याशित स्तर में विश्वास की मात्रा पर आधारित होगा, तथा प्रत्येक मानदंड में ऐसा एमएडी प्राधिकरण की सहमति के साथ भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमांकिक व्यवहार मानकों/मार्गदर्शी नोटों पर आधारित होगा।

(ग) विभिन्न मूल्यांकन मानदंडों के लिए प्रयुक्त मूल्यों को आपस में सुसंगत होना चाहिए।

(2) मृत्यु दरें जो प्रयुक्त होंगी, वे किसी प्रकाशित सारणी के संदर्भ से होंगी, जब तक कि बीमाकर्ता ने अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर एक अलग सारणी का निर्माण नहीं किया हो:

बशर्ते कि ऐसी प्रकाशित सारणी प्राधिकरण की सहमति के साथ भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा बीमा उद्योग को उपलब्ध कराई जाएगी।

आगे यह भी शर्त होगी कि ऐसी प्रकाशित सारणी के संदर्भ से निर्धारित दरें उस प्रकाशित सारणी के एक सौ प्रतिशत से कम नहीं होंगी।

आगे यह भी शर्त होगी कि प्रकाशित सारणी के संदर्भ से निर्धारित ऐसी दरें उस प्रकाशित सारणी के एक सौ प्रतिशत से कम हो सकती हैं, यदि नियुक्त बीमांकक एक निम्नतर प्रतिशत का औचित्य सिद्ध करता हो।

(3) अस्वस्थता दरें जो प्रयुक्त की जाएँगी, एक प्रकाशित सारणी के संदर्भ के द्वारा होंगी, जब तक बीमाकर्ता ने अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर एक अलग सारणी का निर्माण नहीं किया हो:

बशर्ते कि ऐसी प्रकाशित सारणी प्राधिकरण की सहमति के साथ भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा बीमा उद्योग को उपलब्ध कराई जाएगी।

आगे यह भी शर्त होगी कि एक प्रकाशित सारणी के संदर्भ द्वारा निर्धारित ऐसी दरें उस प्रकाशित सारणी के एक सौ प्रतिशत से कम नहीं होंगी।

आगे यह भी शर्त होगी कि प्रकाशित सारणी के संदर्भ से निर्धारित ऐसी दरें उस प्रकाशित सारणी के एक सौ प्रतिशत से कम हो सकती हैं, यदि नियुक्त बीमांकक एक निम्नतर प्रतिशत का औचित्य सिद्ध करता हो।

(4) पॉलिसी अनुरक्षण व्यय बीमाकर्ता के वास्तविक व्यय अनुभव से संबंधित होंगे। सभी व्यय मुद्रास्फीति के लिए भावी वर्षों में बढ़ाई जाएँगी; मुद्रास्फीति की अनुमानित दर मूल्यांकन व्याज-दर के साथ सुसंगत होनी चाहिए।

बशर्ते कि उपयुक्त अतिरिक्त प्रावधान किये जाने चाहिए यदि मूल्यांकन के लिए वास्तविक अनुभव पर विचार नहीं किया गया हो।

आगे यह भी शर्त होगी कि उपर्युक्त उपबंध जीवन बीमा कंपनियों पर व्यवसाय प्रारंभ करने की तारीख से पहले पाँच वर्ष के लिए लागू नहीं होंगे।

(5) मूल्यांकन ब्याज-दर, जो नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रयुक्त की जाएगी –

(क) पैरा 3 में उल्लिखित पॉलिसी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के परिकलन के लिए, वर्तमान आस्तियों से आय जो जीवन बीमा व्यवसाय के खंडों के कारण है, तथा भविष्य में निवेश की जाने वाली राशियों से प्राप्त करने के लिए जो आय बीमाकर्ता से प्रत्याशित है, के विवेकपूर्ण निर्धारण से तय की गई ब्याज-दरों से उच्चतर नहीं होगी, एवं ऐसे निर्धारण में निम्नलिखित को हिसाब में लिया जाएगा-

(i) देयताओं का समर्थन करने वाली आस्तियों की संरचना, संप्रति किये जा रहे (ऑन हैंड) निवेशों से प्रत्याशित नकदी प्रवाह, मूल्यांकन की जाने वाली पॉलिसियों के खंड से नकदी प्रवाह, संभावित भावी निवेश परिस्थितियाँ तथा भावी निवल नकदी प्रवाहों का व्यवहार करने में अपनाई जाने वाली पुनर्निवेश और विनिवेश की कार्यनीति;

(ii) ऐसे निवेश अथवा मूलधन की वापसी पर आय की प्राप्ति के संबंध में निवेश के साथ संबद्ध जोखिम;

(iii) बीमाकर्ता के निवेश कार्यों के साथ संबद्ध व्यय;

(ख) संविदाओं की विशिष्ट श्रेणी के संबंध में पॉलिसी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के परिकलन के लिए, ऐसी श्रेणी की संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुरक्षित आस्तियों पर आय से उच्चतर नहीं होगी;

(ग) लाभ-रहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) व्यवसाय के संबंध में भावी ब्याज-दरों में गिरावट के जोखिम की पहचान करेगी;

(घ) सहभागी (पार्टिसिपेटिंग) व्यवसाय के संबंध में, पूर्वानुमान के आधार पर होगी (भावी निवेश परिस्थितियों के संदर्भ में), कि मूल्यांकन में प्रयुक्त भावी बोनसों का मान मूल्यांकन ब्याज-दर के साथ सुसंगत होगा।

(6) **व्यपगम दर**, यदि मूल्यांकन के लिए इस पर विचार किया जाता है, तो उत्पाद अथवा इसी प्रकार के उत्पादों के विगत अनुभव के आधार पर विवेकपूर्ण धारणा होनी चाहिए; तथा यह उत्पादों के स्वरूप, लक्ष्यित बाजार, वितरण माध्यम आदि के आधार पर प्रत्याशित भावी अनुभव के संदर्भ में होगी।

(7) **अन्य मानदंड** पॉलिसी के प्रकार के आधार पर ध्यान में रखे जा सकते हैं। ऐसे मानदंडों के मूल्यों को स्थापित करने में इस अनुसूची में निर्धारित विचारों को ध्यान में रखा जाएगा।

(8) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना बीमाकर्ताओं/ पुनर्बीमाकर्ताओं से किसी भी प्रकार से जमाराशि अथवा ऋण के रूप में उधार के तत्व के साथ पुनर्बीमा व्यवस्था को अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता सीमा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पुनर्बीमा हेतु ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

(9) यदि गणितीय आरक्षित निधि का परिकलन पुनर्बीमा प्रीमियम के संबंध में व्यय तथा पुनर्बीमाकर्ता से दावा वसूलियों के लिए लिये गये ऋण के लिए व्यवस्था करते हुए किया जाता है, तो मूल्यांकन का आधार और पद्धतियाँ इस अनुसूची के अनुसार होंगी।

6. पुनर्बीमा के लिए प्रयोज्यता:

(1) यह अनुसूची पुनर्बीमाकर्ताओं की बहियों में व्यवसाय के मूल्यांकन के लिए भी लागू होगी।

(2) बीमाकर्ताओं द्वारा अध्यर्पित व्यवसाय के संबंध में यह अनुसूची बीमाकर्ता द्वारा धारित जोखिम पर निवल राशियों के लिए लागू होगी।

7. यूनिट सहबद्ध व्यवसाय के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएँ :

- (1) यूनिट सहबद्ध व्यवसाय के संबंध में आरक्षित निधियों में दो घटक होंगे, अर्थात् यूनिट आरक्षित निधियाँ और सामान्य (गैर-यूनिट) निधि आरक्षित निधियाँ।
- (2) यूनिट आरक्षित निधियों का परिकलन मूल्यांकन दिनांक पर प्रचलित पॉलिसियों को आबंटित यूनिटों के संबंध में मूल्यांकन दिनांक पर यूनिट मूल्यों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, यदि लागू हो।
- (3) सामान्य (गैर-यूनिट) निधि आरक्षित निधियों का निर्धारण घटाई गई नकदी प्रवाह पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - (क) भविष्य में देय प्रीमियम, यदि कोई हों;
 - (ख) सामान्य (गैर-यूनिट) निधि रिज़र्व द्वारा प्रावधानीकृत, मृत्यु पर देय लाभ, यदि कोई हों (यूनिटों के मूल्य से अधिक);
 - (ग) सामान्य (गैर-यूनिट) निधि में अदा किये गये प्रबंधन प्रभार;
 - (घ) अभ्यर्पण मूल्यों अथवा न्यूनतम मृत्यु पर देय अथवा परिपक्वता लाभों से संबंधित गारंटियाँ, यदि कोई हों;
 - (ङ) निधि वृद्धि दरें और प्रबंधन प्रभार। (अन्य मानदंडों के साथ इन मानदंडों के मूल्यों का निर्धारण पैरा 5 के अनुसार किया जाएगा);
 - (च) गैर-ऋणात्मक अवशिष्ट परिवर्धन, यदि कोई हों;
 - (छ) किसी भावी ऋणात्मक नकदी प्रवाह के लिए उपयुक्त रूप में आरक्षित निधियों को स्थापित करते हुए प्रावधान किया जाएगा; तथा ऋणात्मक निधि, यदि कोई हो तो, उसे शून्य तक निश्चित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: यूनिट सहबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत सामान्य (गैर-यूनिट) निधि रिज़र्व को निवेश मानदंडों, अधिशेष के वितरण, आदि के प्रयोजन के लिए असंबद्ध लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) व्यवसाय के लिए आरक्षित निधि के रूप में माना जाएगा।

8. परिवर्ती संबद्ध व्यवसाय के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएँ :

- (1) परिवर्ती संबद्ध व्यवसाय के संबंध में आरक्षित निधि में दो घटक होंगे, अर्थात् पॉलिसी खाता आरक्षित निधियाँ और सामान्य निधि रिज़र्व।
- (2) पॉलिसी खाता आरक्षित निधियाँ मूल्यांकन के दिनांक को पॉलिसी खाते में शेष राशि होंगी।
- (3) सामान्य निधि रिज़र्वों का निर्धारण घटाई गई नकदी प्रवाह पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - (क) भविष्य में देय प्रीमियम, यदि कोई हों; ;
 - (ख) सामान्य निधि द्वारा प्रावधानीकृत, मृत्यु पर देय लाभ, यदि कोई हों (पॉलिसी खाते के मूल्य से अधिक);
 - (ग) सामान्य निधि में अदा किये गये प्रबंधन प्रभार;
 - (घ) अभ्यर्पण मूल्यों अथवा न्यूनतम मृत्यु पर देय और परिपक्वता लाभों से संबंधित गारंटियाँ, यदि कोई हों;

- (ड) पॉलिसी खाता वृद्धि दरें और प्रबंधन प्रभार। (अन्य मानदंडों के साथ इन मानदंडों के मूल्यों का निर्धारण पैरा 5 के अनुसार किया जाएगा);
- (च) गैर-ऋणात्मक अवशिष्ट परिवर्धन, यदि कोई हों;
- (छ) किसी भावी ऋणात्मक नकदी प्रवाह के लिए उपयुक्त रूप में आरक्षित निधियों को स्थापित करते हुए प्रावधान किया जाएगा; तथा ऋणात्मक निधि, यदि कोई हो तो, उसे शून्य तक निश्चित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: परिवर्ती सहबद्ध व्यवसाय के अंतर्गत सामान्य निधि रिज़र्व को निवेश मानदंडों, अधिशेष के वितरण, आदि के प्रयोजन के लिए असंबद्ध लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) व्यवसाय के लिए आरक्षित निधि के रूप में माना जाएगा।

9. परिवर्ती असंबद्ध व्यवसाय (सममूल्य और गैर-सममूल्य) के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएँ :

- (1) परिवर्ती असंबद्ध व्यवसाय के संबंध में आरक्षित निधि के दो घटक होंगे, अर्थात् पॉलिसी निधि रिज़र्व और सामान्य निधि रिज़र्व।
- (2) पॉलिसी खाता आरक्षित निधियाँ मूल्यांकन के दिनांक को पॉलिसी खाते में शेष राशि होंगी।
- (3) सामान्य निधि रिज़र्वों का निर्धारण घटाई गई नकदी प्रवाह पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - (क) भविष्य में देय प्रीमियम, यदि कोई हों;
 - (ख) सामान्य निधि द्वारा प्रावधानीकृत, मृत्यु पर देय लाभ, यदि कोई हों (पॉलिसी खाते के मूल्य से अधिक);
 - (ग) सामान्य निधि में अदा किये गये प्रबंधन प्रभार;
 - (घ) अभ्यर्पण मूल्यों अथवा न्यूनतम मृत्यु पर देय और परिपक्वता लाभों से संबंधित गारंटियाँ, यदि कोई हों;
 - (ङ) पॉलिसी खाता वृद्धि दरें और प्रबंधन प्रभार। (अन्य मानदंडों के साथ इन मानदंडों के मूल्यों का निर्धारण पैरा 5 के अनुसार किया जाएगा);
 - (च) गैर-ऋणात्मक अवशिष्ट परिवर्धन, यदि कोई हों;
 - (छ) किसी भावी ऋणात्मक नकदी प्रवाह के लिए उपयुक्त रूप में आरक्षित निधियों को स्थापित करते हुए प्रावधान किया जाएगा; तथा ऋणात्मक निधि, यदि कोई हो तो, उसे शून्य तक निश्चित किया जाएगा।
 - (ज) भावी बोनस (मूल्यांकन दिनांक के बाद एक वर्ष) अंतिम बोनसों सहित (मूल्यांकन व्याज-दर के साथ सुसंगत रूप में)
 - (झ) कर, यदि कोई हो, तो उसके लिए अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए।
 - (ञ) शेयरधारकों को लाभ का आवंटन, यदि कोई हो, जहाँ शेयरधारकों को देय लाभों और पॉलिसीधारकों के लिए घोषित बोनस दरों के बीच कोई विनिर्दिष्ट संबंध हो।

स्पष्टीकरण: परिवर्ती असंबद्ध लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) व्यवसाय के अंतर्गत सामान्य निधि रिज़र्वों को निवेश मानदंडों, अधिशेष के वितरण, आदि के प्रयोजन के लिए असंबद्ध लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) व्यवसाय के लिए आरक्षित निधि के रूप में माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, परिवर्ती असंबद्ध सहभागी व्यवसाय के अंतर्गत सामान्य निधि रिज़र्वों को निवेश मानदंडों, अधिशेष के वितरण आदि के प्रयोजन के लिए असंबद्ध सहभागी व्यवसाय के लिए आरक्षित निधि के रूप में माना जाएगा।

10. प्रावधानों के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएँ : नियुक्त बीमांकक निम्नलिखित के संबंध में समग्र प्रावधान करेगा, जहाँ गणितीय आरक्षित निधियों के निर्धारण में प्रत्येक पॉलिसी के लिए गणितीय आरक्षित निधियों का परिकलन करना संभव नहीं हो:-

- (1) पॉलिसियाँ जिनके संबंध में अवमानक जीवनो के जोखिम-अंकन के कारण अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित किये गये हैं, जो व्यवसाय संकट, अधिक वजन, कम वजन, धूम्रपान वृत्त, स्वास्थ्य, जलवायु-संबंधी अथवा भौगोलिक परिस्थितियों जैसे अतिरिक्त जोखिमों के अधीन हैं;
- (2) व्यपगत पॉलिसियाँ जो मूल्यांकन में शामिल नहीं की गई हैं, परंतु जिनके अंतर्गत एक देयता विद्यमान है अथवा उत्पन्न हो सकती है;
- (3) वैयक्तिक और सामूहिक बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प;
- (4) वैयक्तिक और सामूहिक बीमा पॉलिसियों के लिए उपलब्ध गारंटियाँ;
- (5) विनिमय की दरें जिनपर विदेशी मुद्राओं में जारी की गई पॉलिसियों के संबंध में लाभों को भारतीय रुपयों में परिवर्तित किया गया है तथा विनिमय दरों में भावी परवर्तनों से उत्पन्न होने वाली गणितीय आरक्षित निधियों की संभावित वृद्धि के लिए क्या प्रावधान किया गया है;
- (6) अन्य, यदि कोई हो।

11. देयताओं का विवरण: बीमाकर्ता भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 के अनुसार देयताओं का एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

अनुसूची III

शोधन क्षमता मार्जिनो का निर्धारण – जीवन बीमा व्यवसाय

(विनियम 5 देखें)

1. व्याख्या: इस अनुसूची में,

- (1) "उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता सीमा" से जीवन बीमा देयताओं (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 के फार्म-एच में प्रस्तुत किये गये रूप में) तथा पॉलिसीधारकों की निधि और शेयरधारकों की निधियों की अन्य देयताओं के मूल्य की तुलना में आस्तियों के मूल्य (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फार्म-एच में प्रस्तुत किये गये रूप में) का आधिक्य अभिप्रेत है;
- (2) "शोधन क्षमता अनुपात" से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 के फार्म-केटी-3 में विनिर्दिष्ट रूप में अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता सीमा की राशि की तुलना में उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता सीमा की राशि का अनुपात अभिप्रेत है।
2. प्रत्येक बीमाकर्ता हर समय उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता सीमा एक ऐसे स्तर पर बनाये रखेगा जो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत बताये गये रूप में न्यूनतम पूँजी की राशि के पचास प्रतिशत एवं अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता सीमा के एक सौ प्रतिशत में से जो भी उच्चतर होगा उससे कम नहीं होगा।

तथा ऐसा न करने पर प्राधिकरण अधिनियम की धारा 64वीए की उप-धारा (2) के अनुसार कार्रवाई करेगा।

3. "शोधन क्षमता का नियंत्रण स्तर" से अधिनियम की धारा 64वीए की उप-धारा (3) के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ऋण शोधन क्षमता सीमा का स्तर अभिप्रेत होगा जिसका उल्लंघन करने पर प्राधिकरण उपयुक्त समझे जाने वाले किन्हीं अन्य उपचारात्मक उपाय करने पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना अधिनियम की धारा 64वीए की उप-धारा (4) के अनुसार कार्रवाई करेगा। शोधन क्षमता का नियंत्रण स्तर इसके द्वारा 150% के शोधन क्षमता अनुपात के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है।
4. **अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता सीमा का निर्धारण:** प्रत्येक बीमाकर्ता भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 के अनुसार अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता सीमा, उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता सीमा और शोधन क्षमता अनुपात निर्धारित करेगा।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./71(161)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 13th April, 2016

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016

F. No. IRDAI/Reg/9/121/2016.—*In exercise of the powers conferred by clauses (y), (z), (za) and (zab) of sub-section (2) of section 114A read with Sections 64V and 64VA of the Insurance Act, 1938, (4 of 1938) and section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-*

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016.
- (2) These Regulations shall come into effect from 1st April 2016 and shall apply to all Insurers carrying on Life Insurance Business.

2. Definitions:

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:
 - (a) “Act” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
 - (b) “Authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- (2) All words and expressions used herein and not defined but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), or in any Rules or Regulations made there under, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

3. Valuation of Assets: Every insurer shall prepare a statement of the value of assets in accordance with Schedule I in respect of life insurance business.

4. Determination of Amount of Liabilities: Every insurer shall prepare a statement of the amount of liabilities in accordance with Schedule II in respect of life insurance business.

5. Determination of Solvency Margin: Every insurer shall prepare a statement of solvency margin in accordance with Schedule III, in respect of life insurance business.

6. Health Insurance Business: Where the insurer transacts health insurance business providing health covers, the amount of liabilities shall be determined in accordance with the principles specified under these Regulations.

7. Business outside India: Where the insurer transacts life insurance business in a country outside India, and submits statements or returns or any such particulars to the host regulator, the insurer shall enclose the same along with the Forms specified in accordance with these Regulations and the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016.

Provided that if Appointed Actuary is of the opinion that the liability and solvency norms outside India where the insurer transacts business, results in lower liability and/or solvency requirement as compared to the liability and solvency norms existing in India, then such person shall require the insurer to set aside additional reserves over and above the reserves shown in the statements or returns or any such particulars submitted to the host regulator of a country outside India so as to comply with the liability and solvency norms existing in India.

8. Furnishing of Forms: The Forms specified in accordance with these Regulations and the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract of Life Insurance Business) Regulations, 2016, shall be furnished separately for Life Insurance Business within India and Total Business transacted by the insurer.

9. Personal visit of Appointed Actuary to the Authority: The Authority may, if considered necessary and expedient, ask the Appointed Actuary to make a personal visit to the office of the Authority to elicit from such person any further information.

10. Repeal and Savings

(1) On and from the commencement of these regulations, the Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities and Solvency Margins of Insurers) Regulations, 2000 shall stand superseded.

(2) However, in respect of anything done or omitted to be done prior to the commencement of these regulations, they shall continue to be governed by Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities and Solvency Margins of Insurers) Regulations, 2000.

11. Power of the Authority to issue clarifications etc.

In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

SCHEDULE I

VALUATION OF ASSETS

(See Regulation 3)

1. The following assets shall be placed with value zero,
 - (1) Agents' and Intermediaries' balances and outstanding premiums in India, to the extent they are not realised within a period of thirty days;
 - (2) Agents' and Intermediaries' balances and outstanding premiums outside India, to the extent they are not realisable ;
 - (3) Sundry debts, to the extent they are not realisable;
 - (4) Advances and receivables of an unrealisable character;
 - (5) Furniture, fixtures, dead stock and stationery;
 - (6) Deferred expenses;
 - (7) Debit balance of Profit and loss appropriation account balance and any fictitious assets other than pre-paid expenses;
 - (8) Reinsurer's balances outstanding for more than ninety days;
 - (9) Leasehold improvements
 - (10) Service Tax Unutilized Credit outstanding for more than ninety days;

- (11) Any other assets, which are considered inadmissible under Section 64V of the Insurance Act, 1938.
2. All other assets of an insurer have to be valued in accordance with the Regulations and other instructions issued by the Authority regarding Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of insurance companies, Other Forms of Capital and Investments, as applicable from time to time.
3. **Statement of Assets:** Every insurer shall prepare a statement of assets in Form Assets AA of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstracts for Life Insurance Business) Regulations, 2016.

SCHEDULE II

VALUATION OF LIABILITIES - LIFE INSURANCE

(See Regulation 4)

1. Interpretation: In this Schedule,

- (1) "Valuation date", in relation to an actuarial investigation, means the date to which the investigation relates.
- (2) "Policy Accounts" means funds earmarked for Variable Linked Business and Variable Non-Linked Business.

2. Method of Determination of Mathematical Reserves :

- (1) Mathematical Reserves shall be determined for each contract by a prospective method of valuation in accordance with sub-paras (2) to (4)
- (2) The valuation method shall take into account all prospective contingencies under which any premiums (by the policyholder) or benefits (to the policyholder/beneficiary) may be payable under the policy, as determined by the policy conditions. The level of benefits shall take into account the reasonable expectations of policyholders (with regard to bonuses, including terminal bonuses, if any) and any established practices of an insurer for payment of benefits.
- (3) The valuation method shall take into account the cost of any options and guarantees that may be available to the policyholder under the terms of the contract.
- (4) The determination of the amount of liability under each policy shall be based on prudent assumptions of all relevant parameters. The value of each such parameter shall be based on the insurer's expected experience and shall include an appropriate margin for adverse deviations (hereinafter referred to as MAD) that may result in an increase in the amount of mathematical reserves.
- (5) (a) The amount of mathematical reserve in respect of a policy, determined in accordance with sub-para (4), may be negative (called "negative reserves") or less than the surrender value available (called "surrender value deficiency reserves") at the valuation date.

Explanation: The surrender value for this purpose shall be higher of special surrender value and guaranteed surrender value.

- (b) The Appointed Actuary shall, for the purpose of section 35 of the Act, use the amount of such mathematical reserves without any modification;
- (c) The Appointed Actuary shall, for the purpose of sections 13, 49, 64V and 64VA of the Act, set the amount of such mathematical reserve to zero, in case of such negative reserve, or to the surrender value, in case of such surrender value deficiency reserves, as the case may be
- (6) The valuation method shall be "Gross Premium Valuation" except for the following cases:
- (a) One year renewable group term assurances including riders attached to group business wherein Reserves shall allow for Unearned Premium, Premium deficiency and Incurred But Not Reported claims.
- (b) Riders attached to individual products wherein the reserve shall be higher of Gross Premium Valuation Reserve and Unearned Premium Reserve.
- (7) For individual business, the Appointed Actuary may hold additional reserve in respect of Incurred But Not Reported claims.

- (8) If in the opinion of the Appointed Actuary, a method of valuation other than the Gross Premium Method of valuation is to be adopted, then, other approximation methods (e.g. retrospective method) may be used.

Provided that the amount of calculated reserve is expected to be at least equal to the amount that shall be produced by application of Gross Premium Method.

- (9) The method of calculation of the amount of liabilities and the assumptions for the valuation parameters shall not be subject to arbitrary discontinuities from one year to the next.

3. Policy Cash Flows: The gross premium method of valuation shall discount the following future policy cash flows at an appropriate rate of interest,

- (1) premiums payable, if any, benefits payable, if any, on death; benefits payable, if any, on survival; benefits payable, if any, on voluntary termination of contract, and the following, if any, :-
 - (a) basic benefits,
 - (b) rider benefits,
 - (c) bonuses that have already been vested as at the valuation date,
 - (d) bonuses as a result of the valuation at the valuation date, and
 - (e) future bonuses (one year after valuation date) including terminal bonuses (consistent with the valuation rate of interest);
- (2) commission and remuneration payable, if any, in respect of a policy (this shall be based on current practice of the insurer). No allowance shall be made for non-payment of commission in respect of orphaned policies.
- (3) policy maintenance expenses, if any, in respect of a policy, as provided under sub-para (4) of para 5;
- (4) allocation of profit to shareholders, if any, where there is a specified relationship between profits attributable to shareholders and the bonus rates declared for policyholders

Provided that allowance must be made for tax, if any.

4. Policy Options and Guarantees: Where a policy provides built-in options that may be exercised by the policyholder, such as conversion or addition of coverage at future date(s) without any evidence of good health, or guarantees, such as annuity rate guarantees at maturity of contract, investment guarantees etc., the costs of such options or guarantees shall be estimated and treated as special cash flows in calculating the mathematical reserves.

5. Valuation Parameters:

- (1) The valuation parameters shall constitute the bases on which the future policy cash flows shall be computed and discounted. Each parameter shall have to be appropriate to the block of business to be valued. An Appointed Actuary shall take into consideration the following,
 - (a) The value(s) of the parameter shall be based on the insurer's experience study, where available. If reliable experience study is not available, the value(s) can be based on the industry study, if available and appropriate. If neither is available, the values may be based on the bases used for pricing the product. In establishing the expected level of any parameter, any likely deterioration in the experience shall be taken into account;
 - (b) The expected level, as determined in clause (a) of this sub-para, shall be adjusted by an appropriate Margin for Adverse Deviations (MAD), the level of MAD being dependent on the degree of confidence in the expected level, and such MAD in each parameter shall be based on the Actuarial Practice Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Actuaries of India, with the concurrence of the Authority
 - (c) The values used for the various valuation parameters should be consistent among themselves.
- (2) **Mortality rates** to be used shall be by reference to a published table, unless the insurer has constructed a separate table based on its own experience:

Provided that such published table shall be made available to the insurance industry by the Institute of Actuaries of India, with the concurrence of the Authority.

Provided further that such rates determined by reference to a published table shall not be less than one hundred percent of that published table.

Provided further that such rates determined by reference to the published table may be less than one hundred percent of that published table if the Appointed Actuary can justify a lower percent.

(3) **Morbidity rates** to be used shall be by reference to a published table, unless the insurer has constructed a separate table based on its own experience:

Provided that such published table shall be made available to the insurance industry by the Institute of Actuaries of India, with the concurrence of the Authority:

Provided further that such rates determined by reference to a published table shall not be less than one hundred percent of that published table.

Provided further that such rates determined by reference to the published table may be less than one hundred percent of that published table if the Appointed Actuary can justify a lower percent.

(4) **Policy maintenance expenses** shall have regard to the actual expense experience of the insurer. All expenses shall be increased in future years for inflation; the rate of inflation assumed should be consistent with the valuation rate of interest.

Provided that appropriate additional provisions shall be made if the actual experience has not been considered for the valuation.

Provided further that the above provision shall not be applicable to the life insurance companies for the first five years from the date of commencement of the business.

(5) **Valuation rate of interest**, to be used by Appointed Actuary -

- (a) for the calculation of the present value of policy cash flows referred to in para 3, shall not be higher than the rates of interest, determined from prudent assessment of the yields from existing assets attributable to blocks of life insurance business, and the yields which the insurer is expected to obtain from the sums to be invested in the future, and such assessment shall take into account-
 - (i) the composition of assets supporting the liabilities, expected cash flows from the investments on hand, the cash flows from the block of policies to be valued, the likely future investment conditions and the reinvestment and disinvestment strategy to be employed in dealing with the future net cash flows;
 - (ii) the risks associated with investment in regard to receipt of income on such investment or repayment of principal;
 - (iii) the expenses associated with the investment functions of the insurer;
- b) shall not be higher than, for the calculation of present value of policy cash flows in respect of a particular category of contracts, the yields on assets maintained for the purpose of such category of contracts;
- c) in respect of non-participating business, shall recognize the risk of decline in the future interest rates;
- d) in respect of participating business, shall be based on the assumption (with regard to future investment conditions), that the scale of future bonuses used in the valuation is consistent with the valuation rate of interest.

(6) **Lapse rate**, if considered for valuation, should be a prudent assumption based on past experience of the product or similar products; and shall have regard to the expected future experience based on the nature of the products, target market, distribution channel etc.

(7) **Other parameters** may be taken into account, depending on the type of policy. In establishing the values of such parameters, the considerations set out in this Schedule shall be taken into account.

(8) Reinsurance arrangement with an element of borrowing in the form of deposit or credit of any kind from insurer's reinsurers without the prior approval of the Authority shall not be treated as credit for reinsurance for the purpose of determination of required solvency margin.

(9) In case the mathematical reserve is calculated allowing for outgo in respect of reinsurance premium and credit taken for claim recoveries from reinsurer, the valuation basis and methods shall be as per this schedule.

6. Applicability to Reinsurance:

- (1) This Schedule shall also apply to the valuation of business in the books of reinsurers.
- (2) As regards the business ceded by insurers, this Schedule shall be applicable to the net sums at risk retained by the insurer.

7. Additional Requirements for Unit Linked Business :

- (1) Reserves in respect of Unit linked business shall consist of two components, namely, unit reserves and general (non-unit) fund reserves.
- (2) Unit reserves shall be calculated in respect of the units allocated to the policies in force at the valuation date using unit values if applicable, at the valuation date.
- (3) General (non-unit) fund reserves shall be determined using discounted cash flow method, which shall take into account of the following, namely:-
 - (a) premiums, if any, payable in future;
 - (b) death benefits, if any, provided by the general (non-unit) fund reserve (over and above the value of units);
 - (c) management charges paid to the general(non-unit) fund;
 - (d) guarantees, if any, relating to surrender values or minimum death and maturity benefits;
 - (e) Fund growth rates and management charges. (The values of these parameters, along with others, shall be determined in accordance with para 5);
 - (f) Non-negative residual additions, if any,
 - (g) Any future negative cash flow shall be appropriately provided for by setting up reserves; and negative reserves, if any, shall be set to zero.

Explanation: General (non-unit) fund reserve under unit linked policies shall be considered as reserve for non-linked non-participating business for the purpose of investment norms, distribution of surplus etc.

8. Additional Requirements for Variable Linked Business:

- (1) Reserve in respect of variable linked business shall consist of two components, namely, policy account reserves and general fund reserves.
- (2) Policy account reserves shall be the balance in Policy Account on the date of valuation.
- (3) General fund reserves shall be determined using discounted cash flow method, which shall take into account of the following, namely:-
 - (a) Premiums, if any, payable in future;
 - (b) Death benefits, if any, provided by the general fund (over and above the value of policy account);
 - (c) Management charges paid to the general fund;
 - (d) Guarantees, if any, relating to surrender values or minimum death and maturity benefits;
 - (e) Policy account growth rates and management charges. (The values of these parameters, along with others, shall be determined in accordance with para 5);
 - (f) Non-negative residual additions, if any;
 - (g) Any future negative cash flow shall be appropriately provided for by setting up reserves; and negative reserve if any, shall be set to zero.

Explanation: General Fund Reserve under Variable Linked Business shall be considered as reserve for non-linked non-participating business for the purpose of investment norms, distribution of surplus etc.

9. Additional Requirements for Variable Non-Linked Business (Par and Non-Par):

- (1) Reserve in respect of variable non-linked business shall consist of two components, namely, policy account reserves and general fund reserves.
- (2) Policy account reserves shall be the balance in Policy Account on the date of valuation.
- (3) General fund reserves shall be determined using discounted cash flow method, which shall take into account of the following, namely:-
 - (a) Premiums, if any, payable in future;
 - (b) Death benefits, if any, provided by the general fund (over and above the value of Policy account);
 - (c) Management charges paid to the general fund;
 - (d) Guarantees, if any, relating to surrender values or minimum death and maturity benefits;
 - (e) Policy account growth rates and management charges. (The values of these parameters, along with others, shall be determined in accordance with para 5);
 - (f) Non-negative residual additions, if any,
 - (g) Any future negative cash flow shall be appropriately provided for by setting up reserves; and negative reserves if any, shall be set to zero.
 - (h) Future bonuses (one year after valuation date) including terminal bonuses (consistent with the valuation rate of interest)
 - (i) Allowance must be made for tax, if any
 - (j) Allocation of profit to shareholders, if any, where there is a specified relationship between profits attributable to shareholders and the bonus rates declared for policyholders.

Explanation: General Fund Reserves under Variable Non-linked Non-Participating Business shall be considered as reserve for non-linked non-participating business for the purpose of investment norms, distribution of surplus etc.

Further, General Fund Reserves under Variable Non-linked Participating Business shall be considered as reserve for non-linked participating business for the purpose of investment norms, distribution of surplus etc.

10. Additional Requirements for Provisions : The Appointed Actuary shall make aggregate provisions in respect of the following, where it is not possible to calculate mathematical reserves for each policy, in the determination of mathematical reserves:-

- (1) Policies in respect of which extra premiums have been charged on account of underwriting of substandard lives that are subject to extra risks such as occupation hazard, over-weight, under-weight, smoking history, health, climatic or geographical conditions;
- (2) Lapsed policies not included in the valuation but under which a liability exists or may arise;
- (3) Options available under individual and group insurance policies;
- (4) Guarantees available to individual and group insurance policies;
- (5) The rates of exchange at which benefits in respect of policies issued in foreign currencies have been converted into Indian Rupees and what provision has been made for possible increase of mathematical reserves arising from future variations in rates of exchange;
- (6) Other, if any.

11. Statement of Liabilities: An insurer shall furnish a statement of liabilities in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstracts for Life Insurance Business) Regulations, 2016.

SCHEDULE III
DETERMINATION OF SOLVENCY MARGINS—LIFE INSURANCE BUSINESS

(See Regulation 5)

1. Interpretation: In this Schedule,

(1) “Available Solvency Margin” means the excess of value of assets (as furnished in form-AA specified under Insurance Regulatory Development Authority of India (Actuarial Report and Abstracts for Life Insurance Business) Regulations, 2016) over the value of life insurance liabilities (as furnished in form-H of Insurance Regulatory Development Authority of India (Actuarial Reports and Abstracts for Life Insurance Business) Regulations, 2016) and other liabilities of policyholders’ fund and shareholders’ funds;

(2) “Solvency Ratio” means the ratio of the amount of Available Solvency Margin to the amount of Required Solvency Margin as specified in form-KT-3 of Insurance Regulatory Development Authority of India (Actuarial Report and Abstracts for Life Insurance Business) Regulations, 2016.

2. Every insurer at all time shall maintain its Available Solvency Margin at a level which is not less than higher of fifty per cent of the amount of minimum capital as stated under Section 6 of the Act and one hundred per cent of Required Solvency Margin failing which the Authority shall act in accordance with sub-section (2) of Section 64VA of the Act.

3. “Control level of Solvency” shall mean the level of solvency margin specified by the Authority in accordance with sub-section (3) of Section 64VA of the Act on the breach of which the Authority shall act in accordance with sub-section (4) of section 64VA of the Act without prejudice to taking any other remedial measures as deemed fit. The control level of solvency is hereby specified as a solvency ratio of 150 %.

4. Determination of Required Solvency Margin : Every insurer shall determine the Required Solvency Margin, the Available Solvency Margin and the Solvency Ratio as per Insurance Regulatory Development Authority of India (Actuarial Report and Abstracts for Life Insurance Business) Regulations, 2016.

T.S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III /4/Exty/71(161)]